न्यायालयः– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 01 गुण्डरदेही जिला–बालोद (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी – महेश बाबू साहू)

व्यवहार वाद क्रमांक – 4 अ/2021
संस्थित दिनांक– 11.02.2021

राजेश कुमार बघेल, आ. श्री उमेंदीराम बघेल,
उम्र–लगभग 24 वर्ष,
निवासी–ग्राम कोड़ेवा, तह० अर्जुन्दा,
जिला बालोद छ०ग०

...........वादी

विरूद्व

01. कु० तुलेश्वरी, पिता पूनमचंद,
जाति सतनामी, उम्र 21 वर्ष,
02. पूनमचंद बंद, आ० बाबूराव बंदे,
उम्र 40 वर्ष,जाति सतनामी,
दोनों निवासी–ग्राम कोड़ेवा,
थाना अर्जुन्दा, तह० अर्जुन्दा,
जिला बालोद छ०ग०
03. मेहतरू बंदे, पिता भुनेश्वर बंदे, जाति सतनामी,
उम्र 57 वर्ष,
04. श्रीमती मीना बंदे, पति मेहतरू बंदे,
उम्र लगभग 55 वर्ष, क्र. 3 व 4 निवासी ग्राम नारधा,
थाना जामुल, तह० धमधा, जिला दुर्ग छ०ग० .... प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री डुलेश्वर कुम्भकार, अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक–01 से 04 ओर से श्री राजेश सोनी, अधिवक्ता।

निर्णय

(आज दिनांक 06.04.2024 को घोषित)

01– वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिये 2,00,000/–रूपये (अक्षरी दो लाख रूपये) का प्रतिकर दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है ।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03– वादी की ओर से प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार हैं । वादी के नाना ठाकुरराम, प्रतिवादी क्र 01 के दादा व प्रतिवादी क्र 02 के पिता बाबूराव तथा प्रतिवादी क्र 03 के पिता एवं प्रतिवादी क्र 04 के ससुर भुनेश्वर सगे भाई हैं । श्रीमती भुनेश्वरी, प्रतिवादी क्र 02,03 व वादी की मां ललताबाई की बुवा थी, जिनकी निःसंतान फौत हो चुकी है तथा उनकी संपत्ति ग्राम कोड़ेवा व धनगांव में स्थित है । श्रीमती भुनेश्वरी निःसंतान होने के कारण उसका पालन पोषण वादी की माता श्रीमती ललताबाई द्वारा किया गया, जिससे खुश होकर श्रीमती भुनेश्वरी द्वारा ग्राम कोड़ेवा व धनगांव स्थित समस्त चल व अचल संपत्ति का वसीयत वादी की मां श्रीमती ललता बाई के नाम पर किया है । ग्राम कोड़ेवा स्थित कृषि भूमि का विवाद प्रतिवादी क्र 01 के पिता एवं भाईयों तथा वादी की माता श्रीमती ललताबाई के मध्य चल रहा है । ग्राम कोड़ेवा एवं धनगांव स्थित कृषि भूमि के संबंध में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार गुण्डरदेही के समक्ष लंबित है । वर्ष 2018 में दीपावली के पूर्व वादी की माता ने फसल को जप्त करा दिया था, जिससे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य रंजिश बढ़ गई थी, जिसका बदला देने के लिये प्रतिवादी क्र 2,3 व 4 ने वादी के विरूद्ध प्रतिवादी क्र 1 के माध्यम से दिनांक 09.11.–2018 को थाना अर्जुंदा में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर, अपनी राजनीतिक पहुंच का दुरूपयोग कर धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करवा दिया, जिसका अपराध क्रमांक 132/2018 है । उक्त प्रकरण में वादी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात्

लगभग 15 दिवस तक जिला जेल बालोद में निरूद्ध था । वादी के विरूद्ध उक्त मामले का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गुण्डरदेही के समक्ष हुआ था, जिसका आपराधिक प्रकरण क्रमांक 512/18 छ.ग. शासन विरूद्ध राजेश बघेल, धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता था । उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा वादी को, उसके व प्रतिवादीगण के मध्य जमीन–जायदाद संबंधी पूर्व विवाद के कारण आपसी रंजिश होना दर्शित करते हुये तथा प्रतिवादीगण के साक्ष्य से वादी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं आने व अपराध प्रमाणित नहीं होने के कारण दिनांक 04.03.2020 को वादी को दोषमुक्त किया गया था ।

04– प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्ध षड्यंत्रपूर्वक झूठा आरोप लगाकर व झूठे साक्ष्य गढ़कर विद्वेषपूर्ण अभियोजन किया, जिससे वादी को दिनांक 10.11.2018 से 04.03.2020 तक लगभग 01 वर्ष 04 माह अभियोजन का सामना करना पड़ा, जिससे वादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक पीड़ा हुई । प्रतिवादीगण के विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण, वादी जो बी ए प्रथम वर्ष का छात्र था, उसका छात्र जीवन समाप्त हो गया, वादी एस एस सी की लिखित परीक्षा में सफल हो गया था किंतु न्यायालय में पेशी तिथि होने से फिजिकल परीक्षा नहीं दे पाया, जिससे वादी का कैरियर ही समाप्त हो गया । वादी को उक्त् विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बचाव में तथा आने–जाने में लगभग 1,00,000/– रूपये (अक्षरी एक लाख रूपये) व्यय करना पड़ा । उक्त आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा वादी को गिरफ्तार तथा अभियोजित किये जाने से वादी की समाज में मानहानी भी हुई

है । इस प्रकार वादी को उपरोक्तानुसार हुई क्षतियों का मूल्यांकन किया जाना तो संभव नहीं है किंतु वादी, प्रतिवादीगण के उपरोक्त संयुक्त कृत्यों से हुई क्षतियों के लिये प्रतिकर का सांकेतिक मूल्यांकन 2,00,000/–(अक्षरी दो लाख रूपये) करता है तथा उपरोक्त् रकम वादी को प्रतिवादीगण से पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से आज्ञप्ति दिनांक से वसूली दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना करता है ।

05– प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में दूर के रिश्तेदार हैं । भुनेश्वरी, प्रतिवादी 02,03 व वादी की माता ललता बाई की बुवा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी संपत्ति ग्राम कोड़ेवा व धनगांव में स्थित है । भुनेश्वरी निःसंतान होने के कारण अपने घर में अकेले निवास करती थी, जिसकी सेवा व आवश्यकतओं की पूर्ति भुनेश्वरी बाई के भाई स्व भुनेश्वर बंधे व उसका परिवार करता था, मात्र भुनेश्वरी बाई की जमीन को हड़पने की नियत से ललतबाई के द्वारा फर्जी वसीयतनामा बनाया गया है, जिसे प्रतिवादीगण के परिवार द्वारा न्यायालय गुण्डरदेही वर्ग–1 के समक्ष चुनाती दी गई है । प्रतिवादी क्र 3 के पिता भुनेश्वर व उनके भाईयों के मध्य पंचायत में हुये व्यवस्था के तहत अपने–अपने हिस्से में खेत की बुवाई कर रहे हैं, में वादी की माता के द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 156/2018 विचाराधीन है । वर्ष 2018 में दीपावली के पूर्व वादी की माता ने फसल को रंजिशन जप्त कर लिया तथा वादी द्वारा रिश्तेदारी को ताक में रखकर प्रतिवादी क्र 01 से छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत

प्रतिवादीगण द्वारा थाना में की गई, जिसमें धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज कर वादी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा वादी को मात्र संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया है न कि बाईज़्ज़त दोषमुक्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी क्र 01 द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की गई है । वादी द्वारा प्रतिवादी क्र 01 के साथे किये गये छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के कारण प्रतिवादी क्र 01 को भारी मानसिक क्षति एवं परिवार की बदनामी हुई, जिसके लिये प्रतिवादीगण, वादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रकरण में वाद कारण का अभाव है । अतः प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकार कर, वादी का दावा खारिज किया जाये तथा प्रतिवादीगण को वादी से प्रतिकर दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना की गई है ।

06– न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर निम्न वाद–प्रश्नों की विरचना की गई है। उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क पर विचार उपरांत वाद–प्रश्न का निष्कर्ष उनके सामने अंकित किया जाएगा ।

क्र	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या वादी से रंजिशवश प्रतिवादीगण ने आपसी षड़यंत्र कर बिना युक्तियुक्त आधार के वादी के विरूद्ध झूठा साक्ष्य गढ़कर एवं झूंठा आरोप लगाकर तथा झूंठा बयान देकर थाना–अर्जुन्दा में भा0द0वि0 की धारा–354 के अंतर्गत अपराध क्रमांक–132/18 पंजीबद्ध कराया था ?	**"प्रमाणित नहीं "**

02	क्या प्रतिवादीगण द्वारा की गई शिकायत के आधार पर थाना–अर्जुन्दा द्वारा विवेचना उपरांत प्रस्तुत किए अभियोग–पत्र के आधार पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य उपरांत न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत प्रकरण को झूंठा/असत्य पाते हुए वादी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था ?	**"प्रमाणित नहीं "**
03	क्या प्रतिवादीगण द्वारा थाना–अर्जुन्दा के समक्ष की गई झूठी शिकायत से वादी को शारीरिक/मानसिक कष्ट हुआ, एवं आर्थिक हानि कारित हुई ?	**"प्रमाणित नहीं "**
04	क्या प्रतिवादीगण की झूठी शिकायत के कारण वादी को हुए शारीरिक/मानसिक कष्ट, एवं आर्थिक हानि क्षति की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण 2,00,000/–रूपए (अक्षरी दो लाख रूपए) अदा करने हेतु उत्तरदायी है ?	**"प्रमाणित नहीं "**
05	सहायता एवं व्यय ?	**कंडिका 16 अनुसार "खारिज"**

07– वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं का, त्रिभुवन साहू व मनोज रात्रे का शपथपत्रीय साक्ष्य आदेश 18 नियम 04 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में परीक्षण कराया गया है तथा दस्तावेज न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुण्डरदेही द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 04.03.2020 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्शपी–01, एस एस सी का मार्क डिटेल प्रदर्शपी–02, श्रीमान सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्शपी–03, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिये शारीरिक मापदण्ड व शारीरिक दक्षता का ई–प्रवेश पत्र प्रदर्शपी–04, अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही द्वारा पारित आदेश दिनांक

13.03.2022 की सत्यप्रति जो 03 पन्नों में है, प्रदर्शपी–05 तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गुण्डरदेही, द्वारा पारित निर्ण एवं डिक्री दिनांक 10.08.2022 की सत्यप्रति जो 17 पन्नों में है, प्रदर्शपी–06 को प्रस्तुत किया गया है ।

08– प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रतिवादी तुलेश्वरी, पूनमचंद, श्रीमति बेनबाई व रूखमणी बंधे का शपथपत्रीय साक्ष्य आदेश 18 नियम 04 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बतौर प्रतिवादी साक्षी तुलेश्वरी, पूनमचंद, श्रीमति बेनबाई का न्यायालय में परीक्षण कराया है।

–:वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02 पर सकारण निष्कर्ष:–

साक्ष्य विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

09– वादी का मुख्य अभिवचन है, कि वर्ष 2018 में दीपावली के पूर्व वादी की मां ने फसल को जप्त करा दिया था, फसल जप्ती के बाद से वादी के परिवार एवं प्रतिवादीगण के बीच रंजिश और बढ़ गई थी, जिसका बदला लेने की नियत से प्रतिवादी क्र 02, 03, 04 ने वादी के विरूद्ध प्रतिवादी क्र 01 से दिनांक 09.11.2018 को लिखित शिकायत कराकर पुलिस थाना अर्जुन्दा में अपनी राजनितिक संबंधों एवं पहुंच का उपयोग करते हुये धारा–354 भा०दं०सं० के तहत अपराध पंजीबद्ध करवा दिया । वादी ने उक्त अभिवचन को अपने शपथपत्रीय कथन में भी दोहराया है । वादी साक्षी त्रिभुवन साहू, मनोज रात्रे ने भी अपने शपथ पत्र में उक्त अभिवचन का कथन किया है । वादी ने उक्त अभिवचन के समर्थन में

प्रपी–01 से प्रपी–06 दस्तावेज पेश किये हैं । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गुण्डरदेही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2020 प्रपी–01 के परिशीलन में यह तो दर्शित है, कि आरोपी के विरूद्ध पीडिता की शिकायत पर धारा–354 भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसका विचारण न्यायालय में हुआ था, और आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त किया था, प्रपी–03 के परिशीलन में दर्शित है, कि माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा उक्त दांडिक प्रकरण की अपील को निरस्त किया है । उक्त दांडिक प्रकरण प्रपी–01 के परिशीलन में यह भी दर्शित है, कि प्रतिवादी क्र 02 पूनमचंद बंदे, प्रतिवादी क्र 03 महेतरू बांधे, प्रतिवादी क्र 04 श्रीमती मीना बांधे का अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षण हुआ था । दांडिक प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा–354 भा०दं०वि० के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं आने से एवं स्वयं प्रार्थिया के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष होने से प्रकरण में संदेह उत्पन्न होने से, संदेह का लाभ देते हुये आरोपी को दोषमुक्त किया था, किन्तु प्रपी–01 के परिशीलन में माननीय दांडिक विचारण न्यायालय का इस संबंध में कोई अभिमत नहीं रहा है, कि पीडिता ने रंजिशवश आपसी षडयंत्र कर बिना युक्तियुक्त आधार के आरोपी के विरूद्ध झूठा साक्ष्य गढ़कर, झूठा आरोप लगाया हो । दांडिक विचारण न्यायालय का इस संबंध में भी कोई अभिमत नहीं रहा है, कि पीडिता ने न्यायालय में झूठा बयान दिया था । वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, कि पीडिता की लिखित शिकायत को किसी न्यायालय द्वारा झूठा/असत्य पाते हुये वादी/आरोपी को बाईज्जत बरी कर दिया गया हो ।

10– माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय द्वारा पारित माननीय न्यायिक दृष्टांत **Kiran Kumar Baxi v/s J.P. Sharma 2018 online chh 819 में प्रतिपादित किया है कि** 9.Malicious prosecution is malicious institution against another of unsuccessful criminal, or bankruptcy, or liquidation proceedings, without reasonable or probable cause. This tort balances two competing principles, namely the freedom that every person should have in bringing criminals to justice and the need for restraining false accusations against innocent persons. The foundation of the action lies in abuse of the process of the Court by wrongfully setting the law in motion and it is designed to discourage the perversion of the machinery of justice for an improper purpose.(See Mohammad Amin v. Jogendra Kumar 1)

14. Now, the question would be, whether the prosecution was initiated against the plaintiff without any reasonable and probable cause?

15. The existence of malice and want of probable cause is an essential prerequisite to the success of an action for malicious prosecution.

23. It is well settled that in an action for damages on account of malicious prosecution, a judgment of the Criminal Court is not

admissible in evidence except for the purpose of finding out whether or not the decision in the criminal case was in favour of the plaintiffs. In other words, it is not that the judgment of the Criminal Court has to be ignored altogether. The Civil Court has to go into the matter on the basis of evidence adduced before it in the civil suit independently of the view expressed by the Criminal Court and the observations of the Criminal Court or the reasons on which the acquittal is based is not to be accepted as conclusive.

11– इस प्रकार वादी को विद्वेषपूर्ण अभियोजन के प्रकरण में साबित करना है, कि क्या, प्रतिवादी द्वारा उसके विरूद्ध **बिना आधार के, बिना संभावित कारण के** अभियोजन संचालित किया गया था । वादी द्वारा, दांडिक प्रकरण में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, का आधार लिया गया है, किन्तु दांडिक प्रकरण में दोषमुक्त हो जाने मात्र से, विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं कहा जा सकता । यदि पक्षकारों के मध्य जमीन का वाद–विवाद स्वीकृत है, तो भी वादी, बिना आधार के एवं बिना संभावित कारण के अभियोजन संचालित किया गया था, को साबित करने से मुक्त नहीं हो जाता है, इस संबंध में भी इस संबंध में माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Doctor Laxmi Narayan VS Ishwari & Oth FA No. 110 of 2002** अवलोकनीय है ।

12– यदि पक्षकारों के मध्य जमीन संबंधी विवाद है, तो भी रंजिश ऐसी दो–धारी तलवार होती है, जो एक तरफ अपराध करने को उकसाती है, दूसरी

तरफ झूठा फँसाये जाने को । विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है, कि यदि प्रकरण में संदेह है, तो उसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है, क्योंकि अभियोजन का दायित्य यह है, कि आरोपी के विरूद्ध आपराधिक मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे । वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा०सा०–02 त्रिभुवन साहू एवं वा०सा०–03 मनोज रात्रे का शपथपत्रीय कथन प्रस्तुत किया है, वा०सा०–02 व 03 का शपथपत्रीय कथन वादी के शपथपत्रीय का अक्षरांश है । उक्त दोनों साक्षीगण ने अपने शपथपत्र में ये कहीं भी उल्लेख नहीं किया, कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे, ऐसी परिस्थिति में जब वे घटनास्थल पर मौजूद होने का कथन नहीं कर रहे हैं तो, घटनास्थल पर क्या हुआ था, वे कैसे जानेगें , वादी साक्षीगण द्वारा जमीन का विवाद होने का मात्र कथन कर दिये जाने से पीडिता द्वारा विद्वेषपूर्ण अभियोजन संचालित किया गया है, प्रमाणित नहीं हो जाता है । माननीय दांडिक विचारण न्यायालय ने उक्त आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से दुर्भावना के संबंध में अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। यह सच है कि भूमि विवाद है, लेकिन वह स्वयं यह दर्ज करने के लिए पर्याप्त नही है कि आपराधिक शिकायत का मामला दुर्भावना से दायर किया गया था, इस संबंध में भी hon'ble C.G. HIGHCOURT BILASPUR द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Doctor Laxmi Narayan VS Ishwari & Oth FA No. 110 of 2002** अवलोकनीय है कि – **6. The trial Court has not recorded its finding regarding malice on the part of the appellant for filing the said criminal complaint. True it is that there is land dispute and there was demarcation to**

ascertain the exact area owned/possessed by the parties, but that itself is not sufficient to record that the complaint case was filed out of malice. The trial Court has not framed issue regarding malice though it is a case of malicious prosecution. The trial Court has recorded the issues only on filing of complaint on false basis and the same cannot be equated with malice. When malice is not proved, malicious prosecution is also not established before the trial Court, therefore, finding of the trial Court is not sustainable and the same is hereby reversed.

13– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सूक्ष्म विश्लेषण एवं लिखित तर्क/मौखिक तर्क पर विचारोपरांत , मेरी यह राय है कि वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ उचित और संभावित कारण के बिना अभियोजन शुरू किया गया था और अभियोजन चलाया गया था। वादी, प्रतिवादीगण के द्वारा अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया, यानी केवल कानून को लागू करने के इरादे से नहीं, बल्कि ऐसे इरादे से जो वास्तव में गलत था, प्रमाणित करने में असफल रहा है ।

14– अतः संपूर्ण साक्ष्य विवेचनोपरांत वादप्रश्न क्र 01 व 02 का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** के रूप में दिया जाता है ।

–:वाद प्रश्न क्रमांक 03 व 04 पर सकारण निष्कर्षः–

साक्ष्य विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

15– वादी का मुख्य अभिवचन है, कि उसे लगभग 01 वर्ष 04 माह तक अभियोजन का दर्द भुगतना पड़ा तथा इस दौरान वादी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से इतना अधिक पीडित हुआ, जिसकी शब्दों में अभिव्यक्ति संभव नहीं है । विचारणीय प्रश्न क्र 01 व 02 की साक्ष्य विवेचना दौरान प्रतिवादीगण द्वारा झूठा साक्ष्य गढ़कर, झूठा आरोप लगाकर, झूठा बयान देकर वादी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराना एवं प्रकरण को झूठा/असत्य पाते हुये वादी को बा–ईज्ञत बरी कर देना प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन संचालित किया जाना प्रमाणित नहीं होने से, वादी को, झूठी शिकायत के आधार पर शारीरिक, मानसिक कष्ट , एवं आर्थिक हानि होने एवं प्रतिवादीगण से 02 लाख रूपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । अतः वाद प्रश्न क्र 03 व 04 का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** के रूप में दिया जाता है ।

<u>सहायता एवं व्यय</u>

16– उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य विवेचना उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि, वादी अपना दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादी का वाद **"खारिज"** कर निम्नाशय कि डिक्री आज्ञप्ति पारित की जाती है:–

01– वादी का दावा खारिज किया जाता है।
02– वादी, प्रतिवादीगण अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
03– अधिवक्ता–शुल्क के संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर या सूची अनुसार जो न्यून हो, वाद व्यय में समाहित की जावे।

तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर उद्घघोषित किया गया

सही/–
महेश बाबू साहू
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

सही/–
महेश बाबू साहू
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग.